

बेह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा

तारीख रजू 06.03.2025

अपील संख्या 106/2025

--- अपीलार्थी

रामफूल पुत्र पुन्या माली निवारसी ग्राम सोनकच्छ, तहसील खण्डार ।

बनाम

--- रेस्पोंडेंट

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ।

उपस्थिति -

श्री मुकेश बसल एडवोकेट

- अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व

- रेस्पोंडेंट

दिनांक 29.08.2025

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 60/2020 में पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सोनकच्छ के आराजी खसरा नम्बर 387/3 रकबा 2.0 बीघा किस्म चरागाह पर संवत् 2077 में जिंस जोत कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमण भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों के एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्त की अनुपस्थिति में बिना सुनवायी के पारित किया गया है तथा पूर्व सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया। इसलिये भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि सिद्धान्तों के विपरीत है तथा प्रार्थी को पश्चातवर्ती मानते हुए पारित किया गया है जबकि पश्चातवर्ती का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एक मात्र पटवारी हल्का की इक पक्षीय रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है लिहाजा अपील निर्णय जैसे बहस निरस्त होने योग्य है। यह कि अपीलान्त का आराजी जैसे बहस अपील पर कोई कब्जा नहीं है ना ही भविष्य में कब्जा रहेगा हल्का पटवारी ने मौका देखे बिना रंजिशवश उक्त रिपोर्ट की है इसलिये भी उक्त निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्त द्वारा अपील के समर्थन में कब्जा हटा लेने का शपथ पत्र एवं 2011(2) आर.आर.टी. 912, 2011(2) आर.आर.टी. 1163, 2013(2) आर.आर.टी. 843,

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर



2014-15(Supp) आर आर.टी. 680 एवं 2014-15(Supp) आर आर.टी. 728 पेश की गईं। अन्त में वकील अभीलान्ट द्वारा अभिनरथ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अभीलान्ठ द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में कथन प्रस्तुत करने का अवसर नोटिस जारी करने के पश्चात ही अभीलान्ठ को सुनवाई सकृत अभीलान्ठ निर्णय पारित किया जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित हो जाने के पश्चात ही अभीलान्ठ खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अभीलान्ठ निर्णय की पत्रावली एवं द्वारा अभीलान्ठ पेश की गई कृतिंग का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का जारी किया गया है जिस पर अभीलान्ठ की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अभीलान्ठ को धारा 91 का नोटिस को जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अतः अभीलान्ठ को सुनवाई सकृत समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आरजी पर अभीलान्ठ के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अभीलान्ठ का पूर्ववर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता हो। चूंकि, अभीलान्ठ ने विवादित भूमि पर से अतिक्रमण हटा लेने तथा भविष्य में अभीलान्ठ अथवा अभीलान्ठ के परिवार के कोई सदस्य द्वारा अतिक्रमण नहीं करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, इसलिए अभील अभीलान्ठ सजा की हद तक स्वीकार किया जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभील अभीलान्ठ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें बेदखली, शारित का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिभ्रित किया जाता है कि यदि अभीलान्ठ अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा कायम नहीं है तथा उक्त शपथ-पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन करने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अभीलान्ठ को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावे। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/9

(सजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर